रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2496] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2015/अग्रहायण 2, 1937
No. 2496] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2015/AGRAHAYANA 2, 1937

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2015

का.आ 3150(अ).—वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का43) की धारा 9 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने अल्पसंख्यंक मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ. 1027(अ) तारीख 12 मई, 2011, जिसे अधिसूचना सं. का.आ. 2476(अ) तारीख 24 अक्तूबर, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था, द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त की थी ;

और केंद्रीय सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 12 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निबंधनों में अधिसूचना सं. 693(अ) तारीख 25 सितंबर, 2014 द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1998 के नियम 4 का संशोधन किया था और उसके उपनियम (1) के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद् की अवधि को कम करके तीन वर्ष कर दिया गया है ;

और केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय वक्फ परिषद् का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है और तदनुसार केंद्रीय सरकार अधिसूचना सं. 1027(अ) तारीख 12 मई, 2011 को सिवाय उन चीजों के जिनको ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है ।

[फा.सं. 8/1/2010-वक्फ]

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2015

S.O. 3150(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 9 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995), the Government of India in the Ministry of Minority Affairs had, vide notification number S.O.1027(E), dated the 12th May, 2011 as amended vide notification number S.O. 2476(E), dated 24th October, 2011, appointed the Chairperson and members of the Central Waqf Council;

And whereas, in terms of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 12 of the Waqf Act, 1995, the Central Government had, vide notification number G.S.R. 693(E), dated 25th September, 2014, amended rule 4 of the Central Waqf Council Rules, 1998 and the term of the Central Waqf Council under sub-rule (1) thereof, has been reduced to three years;

And whereas the Central Government has decided to reconstitute the Central Waqf Council and accordingly, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O. 1027(E), dated the 12th May, 2011, except as respective things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No.8/1/2010-Waqf]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.